

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

दीर्घासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 61/2021
निर्णय दिनांक : 22/7/21

1 बाबूलाल उर्फ ग्यारसी लाल पुत्र श्री रामनाथ, उम्र-40, जाति जाट,
निवासी-भांखरोटा, ढाणी कुच्यावाली, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
 2. लक्ष्मा उर्फ लछमा देवी पत्नी श्री रामनाथ जाति जाट
 3. छीतर पुत्र स्व श्री रामनाथ जाति जाट
 4. भूरिया पुत्र हरला उम्र-वयस्क जाति जाट
 5. गुल्ला पुत्र हरला उम्र-वयस्क जाति जाट
 6. भूली पत्नी स्व श्री कानाराम उम्र-वयस्क जाति जाट
 7. दुर्गालाल पुत्र श्री भौरिया उम्र-वयस्क जाति जाट
- समस्त निवासियान् ग्राम- भांखरोटा, ढाणी कुच्यावाली, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत की धारा 136 के राजस्व राजस्व भू-अधिनियम

1956

प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम भांखरोटा, ढाणी कुच्यावाली, तहसील सांगानेर स्थित भूमि नया खेवट (खतौनी) 589 खसरा संख्या 14/2858 क्षेत्रफल 0.0400 है0 है, खसरा संख्या 15/2859 क्षेत्रफल 0.500 है0, खसरा संख्या 126 क्षेत्रफल 0.5100 है0, खसरा संख्या 136 क्षेत्रफल 0.1000 है0, खसरा संख्या 142 क्षेत्रफल 0.2800 है0, खसरा संख्या 153 क्षेत्रफल 0.1400 है0, खसरा संख्या 154 क्षेत्रफल 0.200 है0, खसरा संख्या 156 क्षेत्रफल 0.6900 है0 कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 1.8300 है0 नाम काशतकार लक्ष्मा देवी पत्नी स्व0 श्री रामनाथ, छीतर व बाबू पि. रामनाथ नया खेवट (खतौनी) 404 खसरा संख्या 151 क्षेत्रफल 0.100 है0 नाम काशतकार भौरिया पुत्र हरला हि. 1/2, भूली पत्नी स्व. श्री काना हि. 1/12, लछमा हि. 1/12, छीतर हि. 1/6, बाबूलाल हि. 1/6 कुल खसरा 1 क्षेत्रफल 0.0100 नया खेवट (खतौनी) 756 खाता संख्या पुराना 719 खसरा नम्बर 11/0.0700 है0 नया खेवट(खतौनी) 240 खसरा संख्या 112 क्षेत्रफल 0.0500 है0 खसरा संख्या 148 क्षेत्रफल 0.0500 है0, खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 0.0100 है0, खसरा संख्या 150 क्षेत्रफल 0.1200 है0 खसरा संख्या 152 क्षेत्रफल 0.0800 है0 खसरा संख्या 161/2663 क्षेत्रफल 0.0400 है0 नाम काशतकार दुर्गालाल पुत्र भौरिया हि. 1/3 गुल्ला पुत्र हरला हि. 1/3 भूली पत्नी स्व. श्री काना, लिछमा, छीतर, बाबूलाल पि. स्व. श्री रामनाथ हि. कुल खसरा 6 कुल क्षेत्रफल 0.3500 है0 नया खेवट (खतौनी) 183

खसरा संख्या 143/2980 क्षेत्रफल 0.0200 है० नाम काश्तकार छीतर, बाबूलाल पि. रामनाथ कुल खसरा 1 कुल क्षेत्रफल 0.0200 है०, नया खेवट (खतौनी) 588 खसरा संख्या 129 क्षेत्रफल 0.3700 है० नाम काश्तकार लछमा देवी पत्नी स्व श्री रामनाथ, छीतर, बाबूलाल पि. रामनाथ हि. 36/37 स्थित है। यह भूमि प्रार्थी व उसके वारिसों की पैत्रिक सम्पदा रही है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के कारण उनके हिस्से की भूमि प्रार्थी व उसके स्व. पिता के वारिसों को विरासत में प्राप्त भूमियां हैं।

उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिस पर प्रार्थी व उनके वारिष्ठान काबिज है प्रार्थी के पिता के पिता स्व. श्री रामनाथ की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरण उसके वारिष्ठान के नाम नामान्तरण कर दिया गया जिसमें प्रार्थी को घर का नाम व प्रार्थी को बचपन में बाबू के नाम से पुकारा जाता था। इस कारण नामान्तरण में भी प्रार्थी का नाम बाबूलाल दर्ज कर दिया गया। उक्त जानकारी प्रार्थी को माह फरवरी 2017 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी नकल लेने पर हुई जबकि प्रार्थी का दस्तावेजों में नाम ग्यारसी लाल है जिसकी पुष्टि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों से होती है जबकि वास्तव में बाबूलाल एवं ग्यारसी लाल एक ही व्यक्ति हैं।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम भांकरोटा, ढाणी कूच्यावाली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की तन में अवस्थित पैत्रिक भूमि में प्रार्थी का नाम बाबूलाल की जगह ग्यारसी लाल पुत्र स्व० श्री रामनाथ कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती की जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर का आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें एवं अन्य कोई आदेश जो माननीय न्यायालय में उचित समझे प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 12.04.2017 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 15.06.2017 को पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी विकास राव उपस्थित। अप्रार्थी 2, 3, 5, 7 स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 व 6 के का. म. प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 19.07.2017 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। दिनांक 03.01.2018 को उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थना पत्र को अधिमाजरी अदमपैरवी में खारिज किया गया।

दिनांक 09.07.2021 को बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी।

बहस प्रार्थी सुनी गयी तथा तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त जवाब मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि बाबूलाल व ग्यारसीलाल एक ही व्यक्ति हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् दुरुस्ती रिकार्ड न्यायहित में स्वीकार किया जाकर ग्राम भांकरोटा, ढाणी कूच्यावाली, तहसील सांगानेर स्थित भूमि भूमि नया खेवट (खतौनी) 589 खसरा संख्या 14/2858 क्षेत्रफल 0.0400 है० है, खसरा संख्या 15/2859 क्षेत्रफल 0.500 है०, खसरा संख्या 126 क्षेत्रफल

2.5100 है०, खसरा संख्या 138 क्षेत्रफल 0.1000 है०, खसरा संख्या 142 क्षेत्रफल 0.2800 है०, खसरा संख्या 153 क्षेत्रफल 0.1400 है०, खसरा संख्या 154 क्षेत्रफल 0.200 है०, खसरा संख्या 156 क्षेत्रफल 0.6900 है० कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 1.8300 है० नया खेवट (खतौनी) 404 खसरा संख्या 151 क्षेत्रफल 0.100 है०, नया खेवट(खतौनी) 240 खसरा संख्या 112 क्षेत्रफल 0.0500 है० खसरा संख्या 148 क्षेत्रफल 0.0500 है०, खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 0.0100 है०, खसरा संख्या 150 क्षेत्रफल 0.1200 है० खसरा संख्या 152 क्षेत्रफल 0.0800 है० खसरा संख्या 161/2663 क्षेत्रफल 0.0400 है०, नया खेवट (खतौनी) 183 खसरा संख्या 143/2980 क्षेत्रफल 0.0200 है०, नया खेवट (खतौनी) 588 खसरा संख्या 129 क्षेत्रफल 0.3700 है० कटेयर में प्रार्थी का नाम बाबूलाल की जगह ग्यारसी लाल पुत्र स्व० श्री रामनाथ राजस्व रिकार्ड में अमल दरामल किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/7/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
(राजेश कुमार (नीयक))
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर